


(२१५)

(३) (७)

व्यायालय श्रीमान् राजस्व मण्डल गवालियर सर्किट कोर्ट ईवा
(म०प्र०)



छोटेलाल तनय रामसखा वैश्य निवासी ग्राम गन्जई,
 तहसील सरई, जिला सिंगरौली म०प्र०

Rs. 30/-

₹ ३०.००।।।

— निगरानीकर्त्ता —

बनाम्

- 1- लल्लू प्रसाद तनय जगन्नाथ प्रसाद वैश्य निवासी ग्राम गन्जई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म०प्र०
- 8- बृहस्पति प्रसाद तत्कालिक पटवारी हल्का गन्जई, तहसील सरई, जिला सिंगरौली म०प्र०
- 9- म०प्र० शासन

— गैरनिगरानीकर्त्तव्य —

निगरानी अंतर्गत धारा 50

म०प्र० भू-राजस्व संहिता १९५९

निगरानी विरुद्ध आदेश कलेक्टर

जिला सिंगरौली प्रकरण क्रमांक

३०९/१२१/१५-१६ आदेश

दिनांक २७-०३-१७

माव्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित हैं-

- 1- यह कि अधीनस्थ व्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है वह मनमाना तथा वैसर्गिक व्याय के सिद्धान्त के विपरीत होने से निरस्त किये जाने योग्य है।
- 2- यह कि अधीनस्थ व्यायालय के द्वारा जो आदेश पारित किया गया है उसमें मामले में उपलब्ध साक्ष्यों का उचित

दौटेला (६)

१।
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक..... R.S.I.72-II/17 जिला- सुपरिल

ठान्डाल बैश्य विरुद्ध लाल प्रखाद

(1)	(2)	(3)
16-1-19	<p>1. आवेदक की ओर से श्री अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी कलेक्टर / अपर्स कलेक्टर, जिला के प्रकरण क्रमांक 309/ली-121/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 27.03.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। मोप्र० भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 29.03.19 को कमिश्नर, रीवा संभाग रीवा के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	